पत्र संख्या-प्र10/अग्रिम (वि0)-01/2007/ /वि0,(अ0), 132

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

प्रेषक,

संजीवन सिन्हा,
विशेष सचिव ।

पटना, दिनांक

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- राज्य सरकार के सेवीवर्ग के लिए केन्द्र के अनुरूप त्योहार अग्रिम की अधिसीमा का उत्क्रमण तथा शर्तो का निर्धारण ।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर त्योहार अग्रिम स्वीकृत करने का प्रावधान है ।

2. राज्य के सेवीवर्ग को भी केन्द्रीय सेवा शर्तों के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के राज्य सरकार के सैद्धान्तिक निर्णय के आलोक में उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति त्योहार अग्रिम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गयी है । तदनुसार, अब त्योहार अग्रिम की राशि 1500/- रू0 से बढ़ाकर केन्द्र के अनुरूप 3000/- रूपये निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) त्योहार अग्रिम की राशि वैसे राज्यकर्मियों को अनुमान्य होगा, जिनका पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रूपये 4800/- से अधिक नहीं है ।
(ii) एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार देय होगा ।
(iii) अग्रिम की वसूली भुगतान के बाद के माह से 10 किस्तों में की जायेगी ।
(iv) वसूली का दायित्व अग्रिम भुगतान करने वाले पदाधिकारी का होगा ।
(v) आकस्मिक तथा निलंबित कर्मचारियों को यह अग्रिम देय नहीं होगा ।
(vi) अग्रिम की स्वीकृति विभागीय/कार्यालय प्रधान द्वारा दी जायेगी ।
(vii) पूर्व स्वीकृत त्योहार अग्रिम के पूर्ण सामंजन के बाद ही यह अग्रिम अनुमान्य होगा ।
(viii) अग्रिम की निकासी एवं भुगतान त्योहार के पहले किया जायेगा ।

3. त्योहार अग्रिम से संबंधित व्यय उसी व्यय-शीर्ष में विकलित होगा, जिसमें संबंधित कर्मचारी का वेतनादि का भुगतान किया जाता है ।

4. अन्य शर्तें, जो इसमें अंकित नहीं है, के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नियम लागू होंगे ।

5. अग्रिम संबंधी सुविधाएँ एवं प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे ।

6. इस संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प संख्या- 2742 दिनांक- 10.11.2001 एवं संकल्प संख्या- 809 दिनांक- 22.05.2006 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(संजीवन सिन्हा)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

(131)

ज्ञापांक- वि0(अ0), पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(संजीवन सिन्हा)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- वि0(अ0), पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(संजीवन सिन्हा)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 1427 वि0(अ0), पटना, दिनांक- 26/11/10
प्रतिलिपि- निबंधक, उच्च न्यायालय,पटना/राज्यपाल के सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा एवं परिषद,पटना/सभी आरक्षी अधीक्षक तथा उप सचिव वित्त विभाग (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sanjeev 26/11/10
(संजीवन सिन्हा)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।